WWJMRD 2016; 2(5): 40-43
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

संदीप सिंह चौहान
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
विभाग राजकीय महाविद्यालय
बांरा, राजस्थान, भारत

Correspondence:
संदीप सिंह चौहान
विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान
विभाग राजकीय महाविद्यालय
बांरा, राजस्थान, भारत

राष्ट्रीय सुरक्षाः भारत–नेपाल सम्बन्ध अवलोकन

संदीप सिंह चौहान

शोध सांराश–
भारत और नेपाल के बीच कोई गम्भीर सीमा विवाद भी नहीं है। हाँ ! 'कालापनी' का मुद्दा अवश्य नेपाल में उठाया जाता है। यह स्थान तिब्बत से लगी नेपाल की पश्चिमी सीमा के पास स्थित है। नेपाल का दावा है कि कालापनी नेपाल का है और उसे मिलना चाहिए। सीमा से सम्बनधित कुछ अन्य छोटे–मोटे विवाद भी हैं जो एक दूसरे के क्षेत्रों में प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हो जाते है। दोनों देशों की संयुक्त समिति द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उसके बाद उम्मीद है कि इन विवादों को भी सुलझा लिया जाएगा।

Keywords: पासपोर्ट, राजदूतावास, फेडरेशन, चैम्बर, व्यापार सन्धि

शोध विस्तार–
दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत भी नहीं है। अलबत्ता 1999 के दिसम्बर में काठमाण्डू एयरपोर्ट से भारतीय विमान के अपहरण के बाद दोनों देशों के बीच हुए समझौते के कारण विमान से यात्रा करने वाले दोनों देशों के नागरिकों के लिए अपना पासपोर्ट या मतदाता परिचय–पत्र या नागरिकता प्रमाण–पत्र या राजदूतावास का पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया है। सड़क मार्ग से आने जाने वालों के लिए अब भी ऐसी कोई बन्दिश नहीं है। नेपाल के एक राजनेता ने कहा कि भारतीय नागरिकों और पाकिस्तानी नागरिकों में भेद कर पाना आसान नहीं। देखने में दोनों एक जैसे लगते है। इनका लाभ उठाकर कुछ अवांछनीय तत्व भी आ जाते है।[1] परन्तु उनका पता लगाना इतना आसान है क्या ?
15 दिसम्बर 2000 को 'काठमाण्डू पोस्ट' में प्रकाशित एक खबर में एक आश्चर्यजनक तथ्य का उद्घाटन किया गया है। सुदीप श्रेष्ठ और गोपाल देव कोटा ने बीरगंज से एक 'फिल्ड–स्टडी' का हवाला देते हुए लिखा है कि नेपाल और भारत के बीच व्यापर का लगभग एक तिहाई अनाधिकृत तरीके से हो रहा हे। 'फेडरेशन ऑफ नेपाली चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज' के उपाध्यक्ष रवि भक्त श्रेष्ठ के हवाले से उन्होंने लिखा कि लगभग दस विलियन रूपये मूल्य का सामान प्रतिवर्ष अनाधिकृत तौर पर भारत से नेपाल आ रहा है। परिणामस्वरूप नेपाल की कई कपड़ा मिलें बन्द हो गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कार्यवाही में नेपाल के भ्रष्ट अधिकारियों का भी हाथ है, जो बीरगंज से लेकर काठमाण्डू के बीच दस हजार से लेकर तीस हजार रूपये प्रति ट्रक घूस लेते है। नेपाल ने तस्करी की समस्या से निपटने के लिए भारत तथा चीन से लगी अपनी सीमा पर प्रमुख स्थानों पर शाही नेपाल सेना तैनात कर दिया है। इसका उद्देश्य न केवल अवैध व्यापार रोकना है अपितु हथियारों और नशीले पदार्थो की तस्करी को भी रोकना है। 18 मार्च, 2002 को गोरखा पत्र में प्रकाशित एक खबर के अनुसार केवल तीन सप्ताह के दौरान नेपाली पुलिस ने तिब्बत से लगी सीमा पर तातोपानी नाका पर चीन से नेपाल अवैध रूप से लाया जा रहा अस्सी लाख रूपये का सामान जब्त किया। एक सूचना के अनुसार भारत–नेपाल सीमा पर अवैध व्यापार के कारण नेपाल को औसतन एक अरब रूपये के राजस्व की हानि होती है। पूरी भारत–नेपाल सीमा पर सेना के जवान और अधिकारी नेपाली कस्टम विभाग के कर्मचारियों की मदद कर रहे है। उधर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि "गत पांच वर्षों में भारत–नेपाल सीमा से होने वाली तस्करी का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। पहले तस्करों के कई गिरोह थे। उनमें ज्यादा भारतीय थे जो नेपाली नागरिकों की सहायता से तस्करी करते थे। उनका उद्देश्य किसी भी तरह जल्दी से पैसा कमाना था। परन्तु अब नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. के सक्रिय होने से पहले काम कर रहे तस्करों के दिन लद गये है। अब आई.एस.आई. सीमा के जरिये

किया जाए। फलतः भारत की राजनीति में आज अनेक जाने–माने अपराधी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता अन्य राजनीतिक दलों माफियाओं का गिरोह बताते रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे राजनीतिक जीवन में अपराधवृत्ति का समावेश आरम्भ से ही रहा है। नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करके आतंकवादियों की मदद कर रही है।[2]

भारत–नेपाल 'व्यापार सन्धि' का नवीनीकरण हो गया है। परन्तु इसके पहले जो खींचतान दोनों देशों के बीच हुई, उससे द्विपक्षीय सम्बन्धों में थोड़ा खटास जरूर आ गया था। इस सन्धि के अन्तर्गत भारत ने नेपाल को कुछ सहुलियतें दे रखी है। जैसे तीसरे देशों का माल नेपाल व्यापारी मंगाकर उससे अपने यहां सामान तैयार करके भारत भेज सकते है और उस सामान पर उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसका उद्देश्य है कि इससे नेपाल में औद्योगीकरण को बढ़ाया मिले और साथ ही नेपाली नागरिकों को रोजगार के अवसर मुहैया हो। एड्स की बीमारी आजकल महामारी के रूप में फैल रही है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है। विशेषज्ञों का ख्याल है कि दक्षिण एशिया के लोगों की जीवन शैली के कारण आने वाले वर्षों में इन देशों में एड्स से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ सकती है। खुली सीमा होने के कारण भारत और नेपाल के लोगों के बीच सम्पर्क काफी घनिष्ठ है। अतः यह दोनों देशों का दायित्व है कि वे ऐसे उपाय करे कि दोनों देशों के लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने 11 जनवरी, 2002 को नई दिल्ली में अपने भाषण में कहा कि एड्स और एच.आई.वी. की महामारी जिस तेजी से बढ़ रही है उसे नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों को मिलकर प्रयास करना चाहिए।[3]

"यूनिसेफ" ;न्दपजमक छंजपवदे प्दजमतदंजपवदंस बेपसकतमदश्े म्उमतहमदबल थ्नदकद्ध की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग बारह हजार लड़के और लड़कियों को फुसलाकर प्रतिवर्ष भारत के वेश्यालयों में बेचा जाता है जो अन्त में एड्स का शिकार होकर नेपाल लौटते है या वहीं मर–खप जाते है। 15.05.2002 को काठमाण्डू के 'राइजिंग नेपाल' नामक अखबार में बताया गया कि प्रति वर्ष औसतन सात हजार नेपाल लड़कियों को विदेशों में वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है। भूटानी

शरणार्थियों की समस्या वैसे भारत–नेपाल सम्बन्धों से जुडा मुद्दा नहीं है, परन्तु इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। नेपाली अधिकारियों के अनुसार लगभग एक लाख भूटानी शरणार्थी पिछले एक दशक से पूर्वी नेपाल में शिविरों में रह रहे है। ये सभी नेपाली मूल के हैं और नेपाली भाषा है। इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रयास हो रहा है। भूटान से इन शरणार्थियों को नेपाल में आकर शरण लेनी पड़ी क्योंकि वे वहाँ मांग कर रहे थे कि उन्हें नेपाली भाषा बोलने एवं पढ़ने–लिखने तथा नेपाली संस्कृति के विकास की इजाजत दी जाये। भूटान के अनुसार अगर इस बात की इजाजत दी गई तो भूटान जैसे छोटे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। जो लोग भूटान में है उन्हें वहाँ के संविधान और नियमों का पालन करना चाहिए। यह दिलचस्प बात है कि भूटानी शरणार्थियों की समस्या से जूझते रहने के बावजूद नेपाल अपने यहां की नागरिकता की समस्या की अनदेखी कर रहा है।[4]

काठमाण्डू से प्रकाशित अखबार 'राइजिंग नेपाल' में 25 मार्च, 2002 को दमक (झापा) से रिपोर्ट करते हुए नवीन सिंह खड्का ने लिखा कि भूटानी शरणार्थियों की पहचान जिस गति से हो रही है उस हिसाब से पहचान का काम पूरा करने में ही पांच साल से अधिक समय लग जायेगा। 'पीपुल्स फोरम फार ह्यूमन राइट्स इन भूटान' के महासचिव डी.पी. काफले ने काठमाण्डू में कहा कि शरणार्थियों की स्थिति बहुत दयनीय है। इधर ताजा घटनाक्रम में भूटान नरेश स्वयं चाहते है कि भूटान में प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाये। उन्होंने देश के लिए एक नया संविधान बनाने की भी पहल की है। आशा की जानी चाहिए कि भूटानी शरणार्थियों की समस्या का भी जल्दी ही कोई हल निकल आयेगा।

भारत–नेपाल की सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कारक है और वहाँ होने वाली किसी भी गतिविधि का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। अतः इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों को और मधुर बनाने का प्रयास किया है। परन्तु बीच–बीच में कुछ ऐसे कारण भी पनपते रहे है जिनके कारण दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ उतार–चढ़ाव आते रहे है। उनके कुछ प्रमुख कारण निम्न है–

सर्वप्रथम चीन ने भारत व नेपाल के रिश्तों में सदा कड़वाहट घोलने की कोशिश की है और भारत–नेपाल सम्बन्धों की मधुरता को तार–तार करने का भरसक प्रयत्न किया है। इस बात में चीन इसलिए भी सफल हो जाता है क्योंकि उसकी सीमा नेपाल की सीमा के साथ लगती है। परन्तु भारत द्वारा प्रदत्त बड़ी आर्थिक सहायता के सामने वह अपनी इस कूटनीतिक चाल में सफल नहीं हो पाता।[5]

दूसरे कारण में पाकिस्तान द्वारा घोषित आई.एस.आई. की गतिविधियाँ तो उपरोक्त कारक के सामने और भी अधिक भयावह है। आज पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले सभी राष्ट्र आई.एस.आई. की आतंकी गतिविधियों की चपेट में है और चाहकर भी वे सभी सीमावर्ती राष्ट्र उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने में सफल नहीं हो पा रहे है। जबकि वहाँ जान व माल दोनों का ही अपार नुकसान हो रहा है।

तीसरे पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी द्वारा पोषित आई.एस.आई. की विनाशकारी गतिविधियों के अनुरूप ही नेपाल में कुछ शरारती तत्वों ने माओवादी गतिविधियों में स्वयं को शामिल कर लिया है उनका सीधा सम्बन्ध वहाँ के राजशाही शासन को उखाड़ फेंकना था। परन्तु उसमें आसानी से सफलता न मिलने पर माओवादियों ने नेपाल के साथ–साथ भारत में भी जान–माल की हानि की है।[6]

चौथे कारक के रूप में भारत व नेपाल की 1800 किमी. लम्बी खुली सीमा ने भी दोनों राष्ट्रों की सुरक्षा को अत्यधिक प्रभावित किया है। क्योंकि खुली सीमा होने के कारण कब तथा कौन कहां आ जा रहा है, इसका आसानी से पता नहीं लग पाता और इन सब बातों का ही लाभ उठाकर गलत गतिविधि वाले लोग जान–माल का नुकसान पहुंचाकर राष्ट्रों की सुरक्षा को क्षीण करते है।

अंतिम व पांचवा कारक आर्थिक कारक है, जहाँ आज तक भारत ने नेपाल को छोटे भाई के समान मानते हुए आर्थिक रूप से भरपूर मदद की है और समय–समय पर नेपाल के डगमगाते कदमों को रोककर अपने साथ मिलाये रखा है। कहना ना होगा कि विश्व के समस्त राष्ट्र मिलकर नेपाल की उतनी आर्थिक मदद नहीं कर पाते, जितना कि अकेला भारत करता है।[7]

जिस प्रकार विविधिता में एकता वाला देश भारत है, उसी प्रकार नेपाल की संरचना है। जुलाई 1986 में अपनी काठमाण्डू यात्रा के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने नेपाल से भारत के युगों पुराने सम्बन्धों की चर्चा करते हुए कहा था कि "ये सम्बन्ध भूगोल, इतिहास, संस्कृति, धर्म और रीति–रिवाजों पर आधारित है।" तभी तो आज भारत में 35 लाख से अधिक नेपाली और नेपाल में 50 हजार से अधिक भारतीय रहते है। हो भी क्यों न, भूवेष्ठित ;संदक स्वबामकद्ध देश नेपाल तीन तरफ से तो भारत से ही घिरा है। केवल उसके उत्तर में तिब्बत स्थित है।

तस्करी की समस्या ने भारत–नेपाल सम्बन्धों को एक बड़ी सीमा पर प्रभावित किया है। प्रारम्भ से ही दोनों देशों के बीच प्रतिबन्धित वस्तुओं के अवैध व्यापार एवं सीमा पर की चोरी के

कारण अनेक मतभेद रहे है। नेपाल विदेशी सामान का बाजार है और वहाँ अत्यधिक मात्रा में चीन, जापान, कोरिया आदि देशों से सामान मंगाया जाता है। वहाँ के बाजार में विदेशी सामान इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन नेपाली नागरिकों की क्रय क्षमता कम होने के कारण इस सामान की वहाँ बिक्री नहीं हो पाती। फलतः नेपाल के व्यापारी अपने यहां भारतीय व्यापारियों को सस्ते दामों पर वस्तुऐं बेच देते है और फिर इन्हें भारतीय/तस्कर अवैध ढंग से भारत पहुंचा देते हैं।[8]

नेपाली सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेपाली व्यापारियों एवं उत्पादकों को योजनन्तर्गत यह अधिकार दिया था कि अपने निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का 15 प्रतिशत भाग निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर व्यय कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मुद्रा शेष रहती है, उस पर इच्छित वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। इस प्रकार के आयात आज्ञा–पत्र सम्बनधित निर्यातक व्यापारी के नाम जारी किये जाते थे, किन्तु उनका उपयोग व्यापारी द्वारा मनोनीत अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि आयात आज्ञा–पत्र बेचे जाने लगे और इसका प्राप्तकर्ता अधिक लाभ देने वाली वस्तुओं का आयात करने लगा। यथार्थ में इस योजना का उपयोग दो प्रकार से हो रहा था। पहले तो अन्य देशों को भेजे जा सकने वाले उत्पादनों को भारत से तस्करी के माध्यम से नेपाल भेजा जाता था। इस प्रकार के भारतीय उत्पादन अधिकतर जूट अथवा जूट के उत्पादन, जानवरों की खालें, चन्दन अथवा चन्दन का तेल आदि थे।[9]

नेपाल का अधिकांश व्यापार वहाँ की शाही सामन्त, अमीर, नेता और प्रमुखतः राजमहल से सम्बनधित लोगों के अधीन बहुत पहले से चलता आ रहा है। वर्तमान नरेश महाराजा ज्ञानेन्द्र राजा बनने से पूर्व एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी और उद्यमी रहे है। अतः उन्हें भी व्यापारियों के हितार्थ उनकी मांगों का समर्थन करना पड़ता है। वर्तमान समय में खुली सीमा होने के कारण अफीम, गांजा, हेरोइन जैसी नशीली वस्तुओं, सिंथेटिक कपड़ों, इलेक्ट्रोनिक्स की वस्तुओं, रिकॉर्ड प्लेयर्स, सी.डी. प्लेयर्स एवं हजारों चीन व जापान से निर्मित उत्पादों, भारतीय जूट व जूट के उत्पादों आदि चीजों का तस्करी से अवैध व्यापार हो रहा है। दोनों सरकारों ने इस अवैध व्यापार को रोकने हेतु 6 दिसम्बर 1991 को एक समझौता भी किया है और उसी समझौते के अधीन इस व्यापार को रोकने के अनेक वैधानिक प्रयास भी किये है। लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों देशों की 1800 किलोमीटर लम्बी सीमायें और 15 आवागमन के मार्गों के कारण यह व्यापार आज तक नहीं रूक पा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि आज भारत के अधिकांश शहरों में चीन अपने उत्पाद को नेपाल के माध्यम से डम्प कर रहा है। इस सस्ते चीनी माल के कारण भारतीय उद्योग जगत काफी परेशान है।

भारत–नेपाल सम्बन्धों का प्रमुख आधार 21 दिसम्बर, 1993 को हुई सुगौली की सन्धि है। यहीं जुलाई 1950 में दोनों देशों के बीच मित्रता एवं सहयोग की सन्धि का आधार बनी। इसी के अन्तर्गत नेपाल को व्यापारिक कार्यों हेतु कलकत्ता बन्दरगाह का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई। लेकिन नेपाल भारत के साथ–साथ चीन व पाकिस्तान से भी अपने मधुर सम्बन्धों का पक्षधर बना रहा। तभी तो नेपाल ने 1961 में चीन को काठमाण्डू–ल्हासा राजमार्ग निर्मित करने की अनुमति दे डाली। समय–समय पर नेपाल से भारत के रिश्तों में खटास भी पैदा हुई। अप्रैल 1976 में तत्काली प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने स्पष्ट किया कि–"नेपाल को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि भारत की मैत्री सदैव बरकरार रहेगी तथा यह मैत्री एकतरफा नहीं होगी। यह नहीं हो सकता कि भारत मित्रता बनाये रखने हेतु प्रयास करता रहे और नेपाल अमित्रता का व्यवहार करता रहे।[10]

सीमापार तेजी से माओवादी गतिविधियाँ बढ़ रही है। इसका साफ असर भारतीय इलाके में भी दिखने लगा है। सीमावर्ती व्यापारी भयभीत होकर माओवादियों को चुपके से आर्थिक मदद पहुँचाने लगे है तो गरीब व निरीह जनता उन्हें अपने घरों में शरण देने को मजबूर है। नेपाल में माओवादियों के हौंसले इतने बुलन्द है कि अब तो उन्होंने भारतीय क्षेत्रों में भी वारदातें शुरू कर दी है। यही नहीं भारतीय वाहनों व नागरिकों को नेपाल में न घुसने देने की चेतावनी भी उन्होंने दे डाली। 9–11 दिसम्बर 2004 तक यह प्रतिबन्ध लागू भी रहा है। इस दौरान सीमा पर भारतीय इलाके में भी जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया।[11]

निश्चित ही नेपाल में भारत विरोधी आन्दोलन तेजी पकड़ता जा रहा है। माओवादियों ने हिन्दी फिल्मों के प्रदर्शन पर नेपाली सिनेमाघरों में रोक लगा दी है। जगह–जगह धरना प्रदर्शन भी किये गये। अपनी आक्रामक नीति के तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका व हवाई आक्रमण से बचने के लिए ग्रामीणों के घरों व सुरक्षित स्थानों पर बंकर बनाने शुरू कर दिये है। 'एक घर एक बंकर' की तर्ज पर बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच जनपदों की सीमाओं के पार बनाये गये। ऐसे बंकरों की जानकारी से सम्बनधित मण्डलायुक्त और शासन भी अवगत हे। इतना ही नहीं माओवादियों ने भारत विरोधी कार्यवाही को और तेज करने के लिए भारत में सक्रिय नक्सली संगठनों से भी आवश्यक सम्पर्क कायम कर लिया है।[12]

निष्कर्ष – भारत–नेपाल सीमा पर तैनात एस.एस.बी. के महानिदेशक हिमांशु कुमार का कहना है कि "नेपाल में माओवादी गतिविधियाँ" चिंताजनक है, क्योंकि नेपाल में अपना प्रभुत्व जमाने के बाद ये भारत विरोधी प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच व पिथौरागढ़ के नजदीक के नेपाली क्षेत्रों में खाईयाँ खोदी है, ताकि लोगों में भारत से मदद की उम्मीद खत्म की जा सके। माओवादी भारत को नेपाल सरकार का हमदर्द बताकर जनता के बीच खिलाफत का माहौल बना रहे है।" हिमांशु कुमार ने नक्सलियों से उनके मेलजोल की पुष्टि करते हुए कहा कि आई.एस.आई. के बाद यह नया तालमेल खतरनाक है। नक्सलियों ने गठजोड़ करके नेपाली माओवादी भारत में छिपने का प्रयास कर सकते है, क्योंकि यहां के नेपाली व थारूओं की उनसे हमदर्दी है। नो मेन्स लैण्ड पर काबिज लोगों को यह पता नहीं कि वे किस देश के वासी है। यह पूछने पर कि क्या तुम नेपाल हो ? जवाब मिलता है, 'जी साब'। थोड़ी देर बाद यह पूछने पर कि क्या तुम हिन्दुस्तानी हो ? तब भी जवाब मिलता है 'जी साब'। आखिर तुम कहाँ के नागरिक हो ? इस पर जवाब मिलता है 'मालूम नहीं साब'। मुस्कुराते हुए कुछ का जवाब यह भी होता है कि 'चाहे जहाँ का समझो साब'। इन संवादों का रहस्योद्घाटन भारत नेपाल सीमा क्षेत्र (बलरामपुर) में तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने किया जिसकी पुष्टि स्वयं वहाँ जाकर की गयी। अधिकारिक सूत्रों ने स्वीकार किया है कि नो मेन्स लैण्ड तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में बसे लोग बांग्लादेशी ही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लुकिंग टु द फ्युचर इण्डो नेपाल रिलेशन्स इन पर्सपेक्टिव, अनमोल, न्यू दिल्ली, 1996, पृ. 72
2. सोदी, सुनील : इंटरनेशनल रिलेशन्स, संजना प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, पृ. 85
3. पाण्डेय, बी.आर. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, प्रकाश बुक डिपों, बरेली, 2004, पृ. 65
4. ग्रोवर एडिट : इण्डियन फॉरेन पालिसी, चैलेन्ज एण्ड आपर चुनिटीज, ग्रोवर पब्लिकेशन्स, 2001, पृ. 87
5. राय गांधी, जी. : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, भारती भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना, 2000, पृ. 106
6. चागला, एम.सी.: इण्डिया फॉरेन पालिसी, सम रिफलेक्शन्स, नई दिल्ली, 1995, पृ. 110

7. वर्मा, सीमा : फॉरेन पालिसी ऑफ इण्डिया, मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2004, पृ. 45
8. उपाध्याय, चन्द्रलेखा :इण्डियाज फॉरेन पालिसी :स्टडी इन साउथ एशिया परस्पेटिव, इन्डिपेन्डेन्ट पब्लिकेशन, 2003, पृ. 55
9. प्रभात कुमार रायःजवाबी कार्यवाही नक्सल समस्या का हल नहीं, अमर उजाला, 18 जून 2007, पृ. 130
10. तरूण विजय :राजशाही से निकला, माओशाही में फंसा, अमर उजाला, 14 जून 2007, पृ. 132
11. के.पी. सिंह :सीमाओं को समस्यायें (सुरक्षा), दैनिक जागरण 9 मई 2007, पृ. 45
12. विजय :नेपाल नरेश का धीरे–धीरे छिनता वैभव, पंजाब केशरी, 28 अगस्त 2007, पृ. 48